तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-11-25	पत्रावली पेश हुई। मुकलाम पक्षकारान उप./प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत Drop किये जाने कार्यवाही पेश किया। क्योंकि अप्रार्थी सं. 4 लाऔलाद बिला औरस फौत हो चुका है। अतः प्रति.सं. 4 के विरुद्ध कार्यवाही Drop की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.01.26 को पेश हो।
21-01-26	पत्रावली पेश हुई। मुकलाम पक्षकारान उपस्थित। बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभाँति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आराजीयात के संबंध में पक्षकारान के हकों का निर्धारण दोनों में साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के पश्चात तथा गुणावगुण के आधार पर ही सकेगा। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण के हक तक स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.10.2023 को प्रार्थीगण के हक तक तफसीला मुलतवाद पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। तथा संलग्न मूल वाद हो। उपखण्ड अधिकारी मुसावर (भरतपुर) राज.